केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोनः 23353503, फैक्सः 23753923

याचिका सं.332/टीएल/2023 **दिनांकः 7.2.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, डीएलएफ साइबर पार्क, टावर–बी, नौंवा तल, उद्योग विहार, फेस–III, सेक्टर 20, गुरुग्राम, हरियाणा–122 008 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस III–भाग एफ के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईज़ेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के संबंध में अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, और 15 के अधीन आवेदन किया गया हैः

फेस III–भाग एफ के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईज़ेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	2x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर एवं 2x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर के साथ ब्यावर के पास उपयुक्त स्थान पर 2x1500 एमवीए 765/400 केवी सबस्टेशन की स्थापना • 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटीः 2 नंबर • (7x500 एमवीए, एक स्पेयर यूनिट सहित) • 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर – 2 नंबर • (7x110 एमवीएआर, एक स्पेयर यूनिट सहित) • 765 केवी आईसीटी बे – 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 2 नंबर • 765 केवी लाईन बे – 6 नंबर • 400 केवी लाईन बे – 2 नंबर • 765 केवी रिएक्टर बे – 2 नंबर • 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर – 2 नंबर • 420 केवी रिएक्टर बे – 2 नंबर **भावी प्रावधानः निम्नलिखित के लिए स्थान** • बे के साथ 765/400 केवी आईसीटीः 2 नंबर • स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाईन बेः 8 नंबर • बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टरः 2 नंबर • बे के साथ 400/220 केवी आईसीटीः 2 नंबर • स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाईन बेः 4 नंबर • बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टरः 1 नंबर • 220 केवी लाईन बेः 4 नंबर	18 मास
2.	ब्यावर पर अजमेर–चित्तौड़गढ़ 765 केवी डी/सी के दोनों सर्किट का लीलो	
3.	ब्यावर पर 400 केवी कोटा–मेड़ता लाईन का लीलो	
4.	फतेहगढ़–3–ब्यावर 765 केवी डी/सी लाईन के प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ फतेहगढ़–3–ब्यावर 765 केवी डी/सी • 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट–4 नंबर • 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर – 4 नंबर	
5.	फतेहगढ़–3 पीएस पर 400 केवी बे के 2 नंबर के साथ फतेहगढ़–3 पीएस पर ± 2x300 एमवीएआर स्टैटकॉम, 4x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125 एमवीएआर एमएसआर	24 मास

नोटः

(I) पावरग्रिड, फतेहगढ़–3 एस/एस (765 केवी फतेहगढ़–3 पीएस – ब्यावर डी/सी लाईन के लिए) पर 765 केवी स्विचेबल लाईन रिएक्टरों के लिए स्थान प्रदान करेगा जिसके लिए किसी लागत की परिकल्पना नहीं की गई है। फतेहगढ़–3 – ब्यावर 765 केवी डी/सी लाईन के अंतरसंयोजन के लिए फतेहगढ़–III पीएस पर दो (02) नंबर 765 केवी लाईन बे मैसर्स पावरग्रिड के कार्यक्षेत्र के अधीन है।

(ii) फतेहगढ़–3 पीएस (फेस–III भाग ई1) के प्रत्येक 400–केवी बस सेक्शन में ±300 एमवीएआर स्टैटकॉम रखा जाएगा।

(iii) पावरग्रिड, एमएससी एवं एमएसआर और संबद्ध 400 केवी बे के साथ स्टैटकॉम के लिए फतेहगढ़–3 एस/एस पर स्थान प्रदान करेगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लि. (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 2749.39 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 31.10.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 332/टीएल/2023 में दिनांक 5.2.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.sterlitepower.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **22.2.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **26.2.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव